राज्य योजना मंडल
छत्तीसगढ़
362 ,दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय,रायपुर

क्रमांक689/2007/रा.यो.मं./जि.यो.प्र. निर्देश रायपुर,दिनांक 10/09/2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष एवं
सचिव, जिला योजना समिति,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तथा जिला वार्षिक योजना (2008-09) के लिए जिला योजना समिति तथा स्थानीय निकायों द्वारा जिला वार्षिक योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश ।

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान, संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदान किया गया है । वर्तमान में जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना तैयार की जा रही है । योजना आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला वार्षिक योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायो की सक्रिय भागीदारी से बनाई जानी है । इसी तारतम्य में ये दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार की जाने वाली जिला वार्षिक योजनाओं को तैयार करने में सहायक होंगे।

2. उद्देश्य :

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला वार्षिक योजना प्रदेश में गठित जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के समन्वय से तैयार की जानी है जिससे परिशिष्ट–एक में दिये गये विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा जिले का समग्र एवं समन्वित विकास सुनिश्चित किया जा सके जिसमें विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग एवं निराश्रित लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके ।

3. जिला योजना निर्माण के महत्वपूर्ण बिन्दु :

राज्य के स्थानीय शासन की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, प्रथम, पंचायती राज संस्थाएं एवं द्वितीय नगरीय स्थानीय निकाय हैं । इनकी नियोजन में भूमिका तथा आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से समुचित विकास

नही हुआ है । इन संस्थाओं के आंतरिक संसाधन संग्रहण की स्थिति संतोषजनक नही है, इन्हें बढ़ाने हेतु इन संस्थाओं में अधोसरंचना का विकास किया जाना आवश्यक है । इस हेतु स्थानीय शासन की इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकास का एक Vision विकसित करना होगा, जिसका आधार क्षेत्रक एवं उपक्षेत्रक होगा ।

पंचवर्षीय योजनाएं एवं विभिन्न वार्षिक योजनाओं में यह विजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के विकास का आधार होगा । जिला योजना स्थानीय स्तर पर स्थित इन संस्थाओं के विजन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य का समन्वय होगा ।

यद्यपि इन संस्थाओं की क्षेत्रवार प्राथमिकताओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जिला योजना का अंतिम लक्ष्य क्षेत्र की आधारभूतसंरचना का विकास कर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, जिसमें अनेक सामान्य प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती है जैसे, अधोसरंचना विकास, कृषि एवं उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन, गरीबी दूर करना एवं पर्यावरण का संतुलित विकास आदि, जिससे मानव विकास के उच्च सूचकांक प्राप्त किये जा सके ।

4. जिला योजना हेतु संसाधनों का चिन्हांकन :

जिला योजना तैयार करने के लिए समान्यतया निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध होगें :

क. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता हेतु किये गये प्रावधान (मांग संख्या 80, 82 एवं 15) ।

ख. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु किये गये प्रावधान (मांग संख्या 81, 83 एवं 53) ।

ग. जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय हेतु प्रावधान (मांग संख्या 60, 41, एवं 64)

घ. विभिन्न विभागों द्वारा मूलरूप से जिला में कियान्वित की जाने वाले चिन्हित योजनाओं की राशि ।

ड. नगरीय निकायों एवं पंचायती राज को सौपें गये विषय से संबंधित विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में प्रावधानित एवं उपलब्ध राशि ।

च. राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुंशसा पर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने वाली राशि ।

छ. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/राष्ट्रीय समविकास योजना/भारत सरकार द्वारा ऐसी प्रयोजनों के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं की प्रावधानित राशि ।

ज. विभिन्न विकास संस्थाएं/परिषद जैसे उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, जैसे प्राधिकरण एवं परिषद से प्राप्त राशि ।

झ. स्थानीय निकायों के अनिवार्य एवं ऐच्छिक करारोपण से प्राप्त होने वाली राशि ।

ट. पंचायत निधि, जनपद निधि जैसे स्थापित निधियों की राशि ।

ठ. विकास परियोजनाओं आदि में स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भागीदारी के रूप में प्राप्त होने वाला अंशदान ।

ड. स्थानीय निकायों के संसाधनो में वृद्धि करने के लिए परिसम्पति के निर्माण हेतु चुकाया जा सकने योग्य ऋण ।

ढ. समय–समय पर राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य राशि ।

5. जिला योजना प्रकिया में विभागों की भूमिका :

जिला योजना की तैयारी की प्रकिया में निम्नलिखित विभागों की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण है :

(i) वित्त तथा योजना विभाग ।
(ii) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
(iii) नगरीय प्रशासन विभाग ।
(iv) राज्य शासन के ऐसे समस्त विभाग जिनकी योजनाओं का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता हैं ।
(v) अन्य विभाग, जिनकी विकास सबंधी योजनाये जिला स्तर पर लागू की जाती हैं।

5.1 जिला योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रक एवं उनसे सम्बन्धित विभागों का विवरण इस प्रकार हैं :

क.	क्षेत्रक का नाम	संबंधित विभाग/योजना	नियाजन सहयोग दल प्रभारी
1.	2.	3.	4.
1.	शिक्षा	स्कूल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान।	स्कूलशिक्षा विभाग
2.	स्वास्थ्य	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास ।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.	पोषण	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास योजना (आंगनबाड़ी) मध्यान्ह भोजन, खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	महिला एवं बाल विकास विभाग
4.	आजीविका	कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, वन, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय,ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यकम, जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास

5.	अधोसंरचना प्रबंध	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना) जल संसाधन, आयाकट।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6.	उर्जा प्रबंधन	उर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, क्रेडा, बायोफ्यूल प्राधिकरण, वन ।	उर्जा विभाग
7.	नागरिक अधिकार सरंक्षण एवं सशक्तिकरण	भू–सुधार, राजस्व, विधिक विभाग, श्रम, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

6. जिला योजना बनाने में विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा :

क. पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में आने वाली उन योजनाओं एवं विभागों को चिन्हित किया जाये, जिनसे राशि का हस्तान्तरण जिलों को और जिलों से पंचायतों एवं नगरीय निकायों को होता है ।

ख. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं–जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत का समन्वय और नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत का समन्वय किया जायेगा इस हेतु समस्त विभाग अपने विभाग की जिला योजना की एक–एक प्रति पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से दें ।

ग. जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के बीच समन्वय का कार्य जिला योजना समिति द्वारा किया जाये ।

घ. विभिन्न विभाग ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कियान्वित की जाने वाली योजना/कार्यक्रमों एवं उससे परिशिष्ट–एक, दो व तीन के लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

ङ. जिला योजना समिति द्वारा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकाय तथा सम्बन्धित (Line) विभाग के मध्य समन्वय एवं सहयोग की रणनीति तैयार की जायें ।

च. जिला योजना समिति द्वारा सभी स्तरों पर(ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों) आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायों को तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञता संबंधित सहयोग देने के लिये नियोजन सहयोग दल गठन किये जाये ।

छ. नियोजन सहयोग दल का प्रभारी बिन्दु–5 की सारणी में दर्शाये क्षेत्रकवार परिशिष्ट–6 में दिये गये सुझावात्मक सूची के अनुसार विभाग के अधिकारी/कर्मचारी होंगे जिनके द्वारा संबंधित क्षेत्रक की योजनाओं का समन्वय किया जायेगा।

ज. नियोजन सहयोग दल में विभाग के कर्मचारी व विशेषज्ञों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों द्वारा तैयार विजन

प्लान को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुरूप संकलित कर बजट के स्वरूप में ढाले जाने में सहयोग दिया जाये ।

6.1 ग्रामीण क्षेत्रों में विभागों की भूमिका :

1. ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की सूची बनाकर हर योजना के सामने यह स्पष्ट कर लें कि इसके लिए किस स्तर के पंचायत की क्या भूमिका है ।
2. केन्द्र परिवर्तित योजनाओं के दिशा–निर्देश के आधार पर पंचायतों को यह स्पष्ट रूप से बता दें कि उन्हें क्या करना है ।
3. तीनों स्तरों के बीच काम का बटवारा इस प्रकार हो :

⇒ गांव अपनी समस्याओं और जरूरत के आधार पर गतिविधि तय करें ।

⇒ जनपद तथा जिला पंचायत यह तय करें कि कौन सी गतिविधि किस योजना से संचालित की जा सकती है । उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी का काम कृषि विभाग की योजनाओं, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, जल संसाधन विभाग की योजनाओं के मध्य समन्वय से सम्पन्न हो सकता है ।

⇒ जनपद पंचायत तथा विकासखण्ड स्तर पर सक्रिय विभाग ग्राम द्वारा चयनित गतिविधि के लिए संभावित योजनाओं और विभागों की पहचान करें ।

⇒ जिला पंचायत और विभाग चयनित गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वय की रणनीति विकसित करें ।

⇒ विभागों का यह दायित्व है कि वे केन्द्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के दिशा निर्देशों के आधार पर पंचायतों की स्थाई समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करें और वास्तविक नियोजन के समय स्थानीय निकायों को उचित सहयोग करें ।

6.2 नगरीय क्षेत्रों में विभागों की भूमिका :

1. नगरीय क्षेत्र में कार्यरत विभाग अपनी योजनाओं और गतिविधियों की सूची बना लें ।
2. योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर स्थानीय निकाय तथा उसकी स्थाई समितियों के लिये नियोजन पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
3. नियोजन के समय नगरीय निकाय को उचित सहयोग देना ताकि नियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके ।

6.3 उपरोक्त प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्रामसभा एवं पंचायत के विभिन्न स्तरों पर नियोजन के प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पंचायत विभाग एवं नगरीय निकायों हेतु दिशा निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा ।

7. जिला स्तरीय नियोजन की प्रस्तावित प्रक्रिया :

क. जिला स्तरीय नियोजन के लिए राज्य स्तर पर राज्य योजना मंडल द्वारा सहयोग, निर्देशन एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

ख. राज्य योजना मंडल द्वारा प्रत्येक जिला योजना समिति को प्रतिवर्ष जिला योजना के व्यापक दिशा निर्देश एवं योजना सीमा अप्रैल माह के अंत तक सूचित की जायेगी ।

ग. जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा संभावित उपलब्ध निधियों की जानकारी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा को दिये जाने तथा तद्नुसार विभिन्न स्तरों से योजना का अनुमोदन प्राप्त कर समय सारणी के अनुरूप योजना तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं समय सारणी संबंधित प्रशासकीय विभाग, पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

घ. जिला योजना निम्नलिखित योजनाओं के आधार पर तैयार की जावे ।

– पंचायतों द्वारा बनायी गई ग्रामीण क्षेत्र की योजनायें ।

– नगरीय निकायों द्वारा बनायी गई शहरी क्षेत्रों की योजनायें तथा

– जिला योजना समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त समन्वय एवं पूरक के रूप में बनायी गई योजनाएँ ।

ड. ग्रामसभा द्वारा ग्राम विकास योजना बनाते समय यथासंभव परिशिष्ट–दो पर राज्य शासन द्वारा दर्शाये गये लक्ष्यों एवं परिशिष्ट–तीन में बुनियादी सुविधा से सम्बद्ध अधोसंरचना को प्राथमिकता दी जावे । गांव की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के कम में भिन्नता हो सकती है ।

च. जिला योजना निर्माण की प्रकिया में परिशिष्ट–पांच के अनुरूप सभी स्तरों पर पहले एक पारिस्थितिक विश्लेशण (Situation Analysis) तैयार किया जाय जिसके लिये संख्यात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों का उपयोग कर एक डाटाबेस तैयार किया जाय ।

छ. जिला योजना के निर्माण के लिये जिला योजना समिति द्वारा बिन्दु चार में दर्शाये गये संसाधनों के आधार पर उपलब्ध बजट का आंकलन किया जाय तथा इसी आधार पर सामान्यतः दस प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी संभावित बजट का आंकलन किया जाय ।

ज. विभाग के बजट में पूर्व से संचालित योजनाओं की राशि को आबद्ध राशि के रूप में तथा बी. आर. जी. एफ., एन. आर. ई. जी. एस., जनसहभागिता जैसी योजनाओं की राशि को अनाबद्ध राशि के रूप में उपयोग में लाने हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है ।

झ. जिला योजना समिति द्वारा स्थानीय निकायों से प्राप्त **Vision Documents** को विषयवार परीक्षण हेतु उप समूहो को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा ।

ञ. जिला योजना समिति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रस्तावों पर चर्चा करके यह तय करेगी कि :

$\Rightarrow$ स्थानीय निकायों की योजनाओं में किस तरह की गतिविधियां संचालित होती है ।

$\Rightarrow$ गतिविधियों को किस तरह के सहयोग की जरूरत है ।

⇒ गतिविधियों के कियान्वयन में किसकी क्या भूमिका होगी ।

⇒ कौन सी गतिविधियां राज्य आयोजना से पूरी होगी ।

⇒ गतिविधियों के कियान्वयन में विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों का क्या योगदान हो सकता है ।

⇒ गतिविधियों के कियान्वयन के अनुश्रवण मानिटरिंग का आधार क्या होगा ।

⇒ ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच उचित सामंजस्य सुनिश्चित हो सके ।

ट. जिला योजना समिति समन्वित जिला योजना बनाकर नगरीय तथा ग्रामीण निकायों को यह सूचित करेगी कि उनकी योजनाओं में किसकी क्या भूमिका होगी ।

ठ. पंचायतो एवं नगरीय निकायों से प्राप्त योजनाओं को उप समूहो द्वारा परीक्षण के उपरांत योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हेतु जिला योजना समिति द्वारा बैठक आहूत की जाएगी । बैठक में जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाकर उसे पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रपत्रों के रूप में तैयार कर राज्य योजना मण्डल को नियत दिनांक से पूर्व प्रेषित कर दिया जाएगा ।

7.1 जिला योजना निर्माण की प्रकिया हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावृद्धि :

जिला योजना का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि नियोजन सहयोग दलो, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायें जिससे योजना के निर्माण हेतु क्षमता का विकास हो सके तथा उपलब्ध संसाधनों का विश्लेशण कर क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकता स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जा सके ।

8. जिला योजना निर्माण हेतु वार्षिक समय सारणी :

जिला नियोजन प्रणाली के अंतर्गत जिला योजना तैयार करने की वार्षिक समय सारणी :

स. क.	गतिविधि	विहित प्राधिकारी	अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	वित्त विभाग द्वारा राज्य योजना मण्डल को जिला योजना हेतु संभावित निधि की उपलब्धता की सूचना ।	संचालक बजट	प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक
2	राज्य योजना मण्डल द्वारा जिला योजना समितियों को संभावित उपलब्ध निधि की सूचना ।	राज्य योजना मंडल	प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक
3	जिला योजना समिति द्वारा नगरीय निकायों एवं जिला पंचायत को संभावित उपलब्ध निधि की सूचना ।	सचिव जिला योजना समिति	प्रतिवर्ष 07 मई तक

4	नगरीय निकायों की स्थायी समिति से अनुमोदित योजना को जिला योजना समिति को प्रेषित किया जाना ।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	प्रतिवर्ष 15 जुलाई तक
5	जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना जिला योजना में शामिल करने हेतु जिला योजना समिति को भेजा जाना ।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक
6.	जिला योजना समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति की बैठक बुलाकर जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाना ।	सचिव जिला योजना समिति	प्रतिवर्ष 25 अगस्त तक
7.	जिला योजना समिति द्वारा राज्य योजना मण्डल को जिला योजना भेजा जाना ।	सचिव जिला योजना समिति	प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक
8.	राज्य योजना मण्डल द्वारा जिला योजना समितियों से चर्चा कर जिला योजना को अन्तिम रूप दिया जाना । (प्रारूप जिला योजना)	राज्य योजना मण्डल	प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर तक
9.	राज्य योजना में जिला योजना को शामिल कर अन्तिम रूप दिया जाना ।	राज्य योजना मण्डल	प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर तक
10.	बजट में राज्य योजना का समायोजन कर सम्मिलित करना	राज्य योजना मण्डल एवं वित्त विभाग	प्रतिवर्ष बजट सत्र से पूर्व तक

(8)

चूंकि वर्ष 2007–08 के लगभग छः माह बीत रहे हैं । अतः जिला योजना 2007–08 एवं 2008–09 परिशिष्ट–चार में दर्शाई समय सारिणी अनुसार तैयार की जानी सुनिश्चित की जाये । वैसे कुछ जिलो द्वारा जिला योजना लगभग तैयार कर ली गयी है एवं शेष जिलों में जिला योजना प्रक्रियाधीन है ।

9. **जिला योजना का स्वरूप :**

जिला योजना का स्वरूप एकरूपता की दृष्टि से परिशिष्ट पांच में दर्शाये अनुसार हो सकता है ।

जिला योजना समिति से प्राप्त जिला योजना एवं विज़न प्लान पर राज्य योजना मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों एवं संबंधित जिला योजना समिति से विचार–विमर्श कर आर्थिक संसाधनों के अनुरूप उसे अंतिम रूप दिया जाएगा, तथा उसे राज्य वार्षिक योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा ।

अतएव कृपया उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप समयसारिणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

10/9/07

(डॉ. एच.एल. प्रजापति)
सदस्य सचिव
राज्य योजना मण्डल
छत्तीसगढ़

---

(9)

क्रमांक 690 /2007/रा.यो.मं./जि.यो.प्र. निर्देश रायपुर, दिनांक 10/09/2007
प्रति,

1. निज सचिव/निज सहायक,मंत्री/राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ रायपुर ।
2. निज सहायक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य योजना मंडल छत्तीसगढ़ ।
3. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव वित्त के स्टॉफ आफिसर मंत्रालय ,रायपुर ।
5. विशेष सचिव छ.ग. शासन योजना विभाग रायपुर ।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप सचिव/अवर सचिव/सहा.सांख्यिकी अधिकारी, राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़ ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत....................................
8. ~~समस्त मुख्य नगर पालिका~~ अधिकारी ....
9. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी...................................

(विनोद कुमार लाल)
संयुक्त संचालक
राज्य योजना मण्डल
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – एक

केन्द्रीय योजना आयोग से अनुमोदित 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्य योजना मण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्य

क.	इकाई	वर्तमान स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
1.	2.	3.	4.
1	गरीबी में कमी 1. ग्रामीण 2. शहरी	45% 7.23%	23% 5%
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	61/1000	30/1000
3	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	379 2003 में	126
4	जन्म दर (TFR)	2.6	2.00
5	कुपोषण	55 1999 में	20
6	रक्ताल्पता	NA	27
7	लिंगानुपात	989	999
8	ड्राप आऊट रेट	13.62	10
9	साक्षरता दर	65.18%	85%
10	समस्त घरेलू उत्पादन (GDP) 1. कृषि 2. उद्योग 3. सेवाएं योग		2% 12% 7.6% 9%

परिशिष्ट – दो

जिला योजना तैयार करते समय प्राथमिकता दिये जाने वाले लक्ष्य एवं कार्यक्रम

क.	क्षेत्रक का नाम	लक्ष्य एवं कार्यक्रम
1.	**2.**	**3.**
1.	शिक्षा	▪ प्रत्येक ग्राम में 100 घरों की आबादी पर या सामान्य क्षेत्र में 2 कि.मी. तथा अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र में एक कि.मी. परिधि में कम से कम 01 प्राथमिक शाला स्थापित किया जाना । ▪ दो पंचायतो के मध्य कम से कम 01 माध्यमिक शाला स्थापित किया जाना। ▪ चार पंचायतो के मध्य कम से कम 01 हाईस्कूल । तथा 10 पंचायतो के मध्य कम से कम 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थापित किया जाना । ▪ अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र के अंतर्गत दो पंचायतो के बीच कम से कम एक आश्रम शाला स्थापित किया जाना। ▪ सभी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आश्रम शाला एवं आंगनबाड़ी हेतु भवन का निर्माण किया जाना ।
2.	स्वास्थ्य	▪ सभी बसाहटों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना । ▪ धार्मिक स्थलो पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना । ▪ दो हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में नलजल योजना पूर्ण किया जाना । ▪ वर्ष 2012 तक सभी ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों के लिए जलवाहित व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाना । ▪ सभी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आश्रम शाला एवं आंगनबाड़ी हेतु पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना।
3.	पोषण	▪ 0–6 वर्ष के 100 बच्चों पर कम से कम एक आंगनबाड़ी स्थापित किया जाना । ▪ 3–6 वर्ष के बच्चों के लिये आंगनबाड़ी की समुचित व्यवस्था किया जाना । ▪ प्रत्येक पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकान के समुचित संचालन हेतु विक्रय सह गोदाम केन्द्र भवन

		मार्च, 2009 तक निर्मित कराना । ▪ सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जाना ।

4.	अधोसंरचना प्रबंध	▪ सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना । ▪ सभी पंचायतो को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना । ▪ सामान्य क्षेत्र के एक हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों को मार्च 2009 तक पक्की सड़कों से जोड़ा जाना । ▪ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पांच सौ से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम तथा तत्पश्चात् 250 आबादी वाले सभी ग्रामों को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ा जाना। ▪ राज्य की सभी मण्डियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मार्च 2009 तक बारहमासी पक्की सड़को से जोड़ा जाना। ▪ सभी सार्वजनिक वितरण केन्द्रों को मार्च 2009 तक बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जाना । ▪ प्रत्येक पटवारी हल्के में पटवारी भवन सह आवास का निर्माण किया जाना। ▪ पन्द्रह हजार की आबादी पर कम से कम एक पुलिस चौकी की स्थापना । ▪ वन क्षेत्रो में वनरक्षक की चौकी सह आवास का निर्माण किया जाना । ▪ वनग्रामों में बुनियादी सुविधा मुहैया कराना । ▪ पर्यटन स्थलो का समुचित विकास तथा पर्यटको के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना । ▪ धार्मिक स्थलों का विकास । ▪ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन बनाना ।
5.	ऊर्जा प्रबंधन	▪ वर्ष 2010 तक सौ से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम/मजरा टोला/पारा में विद्युतीकरण पूर्ण किया जाना। ▪ वर्ष 2010 तक प्रीमिटीव जनजाति के बसाहटों को पारम्परिक/गैर पारम्परिक उर्जा के स्त्रोतो से सम्पन्न किया जाना ।

6.	नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण	▪ वर्ष 2010 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारो के लिए आवास का निर्माण पूर्ण किया जाना । ▪ मार्च 2009 तक बैगा, पहाड़ी कोरवा प्रीमिटीव जनजाति के परिवार के लिए शत प्रतिशत आवास का निर्माण किया जाना । ▪ योजनाओं के निर्माण में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति महिलाओं, विकलांग एवं निराश्रितों के लिए विशेष ध्यान रखा जायेगा ।

7.	आजीविका	▪ संयुक्त वन प्रबंधन से संबध वनों के आस पास के सभी ग्रामो में पौधा रोपण लघु वनोपज से संबंधित भंडारण एवं प्रसंस्करण से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना । ▪ बांस, रतनजोत, महुलई, मेंहदी तथा अन्य औषधि संबंधी पौधों के रोपण में विशेष जोर दिया जाना । ▪ कृषि में सिंचाई के विस्तारण के लिए प्रत्येक पंचायत में सिंचाई के साधन का विकास करना । ▪ तालाबों का समुचित प्रबंधन किया जाना । ▪ ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का प्रबंधन किया जाना । ▪ ग्रामीण बाजार की समुचित व्यवस्था किया जाना । ▪ गौण खनिज राजस्व का प्रबंधन तथा खादानो की सुरक्षा एवं पहुॅच मार्ग का निर्माण किया जाना ।
8.	सभी क्षेत्रक के लिये	▪ पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई प्राथमिकता।

परिशिष्ट– तीन

क्षेत्रक का नाम		मार्च, 2007 की स्थिति में					2007–08 प्रस्तावित				2008–09 प्रस्तावित			
1. शिक्षा		आवश्यक संख्या	वर्तमान संख्या	भवन युक्त	पेयजल सुविधा	शौचालय सुविधा	भवन	पेयजल	शौचालय	नवीन प्रस्ताव	भवन	पेयजल	शौचालय	नवीन प्रस्ताव
	क. प्राथमिक शाला													
	ख. माध्यमिक शाला													
	ग. हाई स्कूल													
	घ. हायर सेकेण्डरी													
	ड. आश्रम शाला													
2.स्वास्थ्य														
	क. उपस्वास्थ्य केन्द्र													
	ख. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र													
	ग. आयुर्वेदिक औषधालय													
	घ. होम्योपैथिक/यूनानी													
3. आंगनबाड़ी केन्द्र														
	क. 0–3 वर्ष हेतु													
	ख. 3–6 वर्ष (ई.सी.ई) हेतु													
4. आधारभूत सुदृढ़ीकरण														
	क.पंचायत भवन													
	ख.सामुदायिक भवन													
	ग.सार्वजनिक वितरण केन्द्र													

5. पेयजल		कुल संख्या	कव्हर्ड (एफ.सी.)	शेष (पी.सी.)	शेष (एन.सी.)	संभावित स्लीप बैक	एन.सी. से पी.सी.	पी.सी. से एफ.सी.	कव्हर्ड (एफ.सी.)का लक्ष्य	शेष	एन.सी. से पी.सी.	पी.सी. से एफ.सी.	कव्हर्ड (एफ.सी.) का लक्ष्य	शेष
	क. बसाहट													
	ख. 2000 की आबादी से अधिक के ग्राम													
	ग. 500 से अधिक की आबादी के ग्राम													
	घ. नगर पंचाायत													
	च. नगर पालिका / नगर निगम													
6. स्वच्छता		कुल संख्या	शौचालय सुविधा युक्त परिवार		शेष शौचालय सुविधा विहीन परिवार		शौचालय निर्माण का लक्ष्य IHHL		शेष शौचालय सुविधा विहीन परिवार		शौचालय निर्माण का लक्ष्य IHHL		शेष शौचालय सुविधा विहीन परिवार	
	क. ए.पी.एल. परिवार													
	ख. बी.पी.एल. परिवार													
	ग. सामुदायिक भवन													
7. विद्युतीकरण		कुल संख्या	विद्युतीकृत		शेष		विद्युतीकरण का लक्ष्य		शेष		विद्युतीकरण का लक्ष्य		शेष	
	क. ग्राम													
	ख. मजराटोला													

8. कनेक्टीविटी		कुल संख्या	बारहमासी पक्की सड़क से जुड़े	शेष	बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य	शेष	बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य	शेष
	क. 1000 से अधिक आबादी के ग्राम							
	ख. 500 से अधिक आबादी के ग्राम							
	ग. 250 तक आबादी के ग्राम							
	ड. मंडी							
	च. उप स्वास्थ्य केन्द्र							
	छ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र							
	ज. सार्वजनिक वितरण केन्द्र							
	झ. पर्यटन स्थल							
9. आवास		कुल संख्या	आवास युक्त	शेष (आवास विहीन)	आवास निर्माण का लक्ष्य	शेष (आवास विहीन)	आवास निर्माण का लक्ष्य	शेष (आवास विहीन)
	क. परिवार							
	ख. बी.पी.एल. परिवार							
	ग. प्रिमिटिव जनजाति परिवार							

परिशिष्ट – चार

जिला योजना निर्माण (2007-08 एवं 2008-09) हेतु वार्षिक समय सारणी

स. क.	गतिविधि	विहित प्राधिकारी	अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	जिला योजना समिति द्वारा नगरीय निकायों एवं जिला पंचायत को संभावित उपलब्ध निधि की सूचना ।	सचिव, जिला योजना समिति	25 सितम्बर, 2007 तक
2	नगरीय निकायों की स्थायी समिति से अनुमोदित योजना को जिला योजना समिति को प्रेषित किया जाना ।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	10 अक्टूबर, 2007 तक
3	जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना जिला योजना में शामिल करने हेतु जिला योजना समिति को भेजा जाना ।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 अक्टूबर, 2007 तक
4.	जिला योजना समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति की बैठक बुलाकर जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाना ।	सचिव, जिला योजना समिति	25 अक्टूबर, 2007 तक
5.	जिला योजना समिति द्वारा राज्य योजना मण्डल को जिला योजना भेजा जाना ।	सचिव, जिला योजना समिति	31 अक्टूबर, 2007 तक
6.	राज्य योजना मण्डल द्वारा जिला योजना समितियों से चर्चा कर जिला योजना को अन्तिम रूप दिया जाना । (प्रारूप जिला योजना)	राज्य योजना मण्डल	15 नवम्बर, 2007 तक
7.	राज्य योजना में जिला योजना को शामिल कर अन्तिम रूप दिया जाना ।	राज्य योजना मण्डल	30 नवम्बर, 2007 तक
8.	बजट में राज्य योजना का समायोजन कर सम्मिलित करना	राज्य योजना मण्डल एवं वित्त विभाग	प्रतिवर्ष बजट सत्र से पूर्व तक

नोट :– जिला योजना के लिए दिशा निर्देश के बिन्दु 4 में दर्शाये गये मदों में प्राप्त बजट आवंटन को संभावित उपलब्ध निधि के रूप में प्रयोग में लाने का कष्ट करें ।

परिशिष्ट – छः

<u>क्षेत्रकवार संयोजकों की सुझावात्मक सूची</u>

क.	क्षेत्रक का नाम	संयोजक		
		जिला पंचायत/नगर पालिका व निगम	जनपद पंचायत /नगर पंचायत	ग्राम पंचायत
1.	2.	3.	4.	5.
1.	शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्रधान पाठक/प्राचार्य
2.	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
3.	पोषण	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
4.	आजीविका	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सचिव, ग्राम पंचायत
5.	अधोसंरचना प्रबंध	कार्यपालन/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ नगर पालिका व निगम	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ नगर पंचायत	उप अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग
6.	ऊर्जा प्रबंधन	संभागीय/अधीक्षण यंत्री छ.ग.रा.वि.मं.	सहायक /कनिष्ठ अभियन्ता छ.ग.रा. वि.मं.	सचिव ग्राम पंचायत
7.	नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण	अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)	तहसीलदार	पटवारी

परिशिष्ट – पॉच
योजना आलेख का प्रारूप

अध्याय क.		शीर्ष
1.	जिला .... एक दृष्टि में	
क.		जिले का निर्माण
ख.		भौगोलिक स्थिति अक्षांश देशांस, भौगोलिक क्षेत्र, पड़ोसी जिले, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं, जल प्रवाह एवं नदियां, समुद्र सतह से उंचाई आदि ।
ग.		जलवायु एवं वर्षा
घ.		मिट्‌टी
ड.		प्रशासनिक इकाई तहसील, विकासखण्ड, आदिवासी विकासखण्ड, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत एवं ग्राम आदि ।
च.		जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, पुरूष, स्त्री एवं बालक, बालिकाएं जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, औद्योगिक कामगारो का वर्गीकरण, साक्षर जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या का घनत्व, दस वर्षीय वृद्धि दर आदि ।
2.	कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	
2.1	कृषि	
क.		कुल क्षेत्रफल
ख.		गैर कृषि भूमि की मात्रा
ग.		कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि
घ.		पड़त भूमि, पड़ती भूमि
ड.		चरागाह
च.		निरा बोया गया क्षेत्रफल
छ.		दो फसली क्षेत्रफल
ज.		सम्पूर्ण फसलों का क्षेत्रफल
झ.		प्रमुख फसलो के अंतर्गत क्षेत्रफल खरीफ, रबी, जायद – (अनाज, दाले, तिलहन, गन्ना, मसाले आदि)
ट.		फसलो का उत्पादन
ठ.		कृषि जोत
ड.		उर्वरक का उपयोग

ढ. विभिन्न प्रमुख फसलो के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल
ण. सूखा प्रभावित क्षेत्र
त. कृषि सेवा केन्द्र एवं मुख्यालय से दूरी
थ. फसल बीमा योजना
द. कृषि विज्ञान योजना
ध. कृषि फार्म की स्थिति
न. कृषि महाविद्यालय

योजनाएं

क. सूरज धारा स्कीम की स्थिति
ख. अन्नपूर्णा योजना की स्थिति
ग. किसान समृद्धि योजना की स्थिति
घ. शाकम्बरी योजना की स्थिति
ड. आत्मा योजना की स्थिति
च. माइको एरीगेशन की स्थिति
छ. नलकूप योजना की स्थिति
ज. वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थिति
झ. शीड सबसीडी स्कीम की स्थिति
ट. जेट्रोफा वृक्षारोपण एवं बायोडीजल की स्थिति
ठ. आईसोपाम योजना की स्थिति

2.2 पशुधन एवं कुक्कुट पालन

क. कुल पशुधन
गायें, भैसे, भेड़, बकरी, सुअर आदि ।
ख. दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी की व्यवस्था
ग. मवेशी एवं भैसे का विकास
घ. उन्नत नस्ल की गाय भैंस की संख्या
ड. पशु आहार एवं चारा का विकास
च. सूअर पालन की संभावना
छ. दूध एकत्रीकरण एवं बिकीकेन्द्र
ज. पशु चिकित्सालय भवनों की स्थिति
झ. विभिन्न बीमारी एवं नियंत्रण के उपाय

2.3 मत्स्य पालन

क. उपयोग में लाये जाने वाले नदी, तालाब की स्थिति
ख. मत्स्य बीज का उत्पादन एवं उसकी पूर्ति
ग. कुल मछली उत्पादन एवं उनके केन्द्रों की स्थिति
घ. मत्स्य प्रोसेसिंग सुविधा
ड. मत्स्य विपणन केन्द्र
च. मत्स्य पालन की दशा एवं उनकी संख्या

छ. फिशरमैन सहकारी समिति की संख्या
ज. क्या समूह बीमा योजना लागू है
झ. क्या फिशरमैन के लिए नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम लागू है स्थिति

2.4 उद्यानिकी

क. फल– आम, काजू, केला, जामुन, ईमली, आंवला, शरीफा आदि
ख. सब्जी – सभी प्रकार के सब्जियों का उत्पादन
ग. फूल – विभिन्न प्रकार के फूलो का उत्पादन
घ. मसाले की खेती
ड. माडर्न नर्सरी
च. वेजीटेबल क्वालिटी शीड्स प्रोडक्शन

2.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क. अंत्योदय अन्न योजना
ख. अन्नपूर्णा येाजना
ग. छत्तीसगढ़ अमृत योजना
घ. अन्नपूर्णा दालभात योजना
ड. अन्नदूत योजना
च. फूड सेक्योरिटी फंड
छ. भंडारण सुविधा
ज. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन

2.6 स्हकारिता

क. जिला केन्द्रीय बैंक की स्थिति
ख. लैम्पस/पैक्स की संख्या
ग. अन्य प्रकार के कॉपरेटिव बैंक की संख्या
घ. एस. सी./एस. टी. को सदस्य बनाने के लिए सबसिडी दिये जाने की स्थिति
ड. किसानों के कर्ज माफ की स्थिति एवं समायोजन
च. प्राथमिक सहकारी साख समिति की दशा
छ. किसानों के कर्ज माफ की स्थिति एवं समायोजन
ज. शक्कर का कारखाना

2.7 कृषि विपणन

क. मंडी की दशा
ख. धान एवं मक्का का प्रोक्योरमेंट

3. ग्रामीण विकास

क. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
ख. इंदिरा आवास योजना
ग. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
घ. जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम
ड. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
च. नवा अंजोर योजना
छ. राष्ट्रीय सम विकास योजना
ज. भूमि सुधार योजना
झ. पंचायत से संबंधित योजनाएं

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

क. सिंचाई के विभिन्न साधन एवं साधनवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत
ख. वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं
ग. लघु सिंचाई योजनाएं
घ. न्लकूप का निर्माण
ड. एनीकट का निर्माण
च. कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट
छ. एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से कियान्वियत योजनाएं
ज. बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास
झ. पुरानी योजनाओं का सुधार

5. ऊर्जा

5.1 विद्युत

क. विद्युत की उपलब्धता एवं मांग
ख. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
ग. कितने गांव विद्युतीकरण हेतु शेष है
घ. अटल ज्योति योजना की स्थिति
ड. ऊर्जीकृत पम्पसेट एवं नलकूपों की स्थिति
च. एपीडीआर में क्या कार्य हुआ है

5.2 गैर परम्परागत ऊर्जा

क. कुल गांवों की संख्या
ख. सोलर फोटो प्रोग्राम की स्थिति
ग. जेट्रोफा से विद्युतीकरण

6. उद्योग एवं खनिज

- क. वृहद एवं मध्यम उद्योग
- ख. ग्रामीण एवं लघु उद्योग
- ग. हाथकरघा
- घ. खादी ग्रामोद्योग
- ड. चर्म उद्योग
- च. हस्तशिल्प
- छ. रेशम उद्योग
- ज. चीनी उद्योग
- झ. खनिज

7. परिवहन एवं संचार

- क. राष्ट्रीय राजमार्ग
- ख. राज्य सड़क मार्ग
- ग. मुख्य जिला मार्ग
- घ. ग्रामीण सड़के
- ड. पुल– पुलियों की स्थिति
- च. भवनों का निर्माण
- छ. विश्राम गृह एवं उच्च विश्राम गृह का निर्माण
- ज. हवाई पट्‌टी का निर्माण
- झ. परिवहन कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण
- ट. ट्रैफिक गार्डन

8. वन एवं पर्यावरण

- क. कुल वन क्षेत्र
  आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन
- ख. वन ग्राम की संख्या एवं विकास
- ग. वनो से प्राप्त लकड़ी, लघु वन उपज बांस आदि
- घ. वनो पर आधारित उद्योग
- ड. संयुक्त वन प्रबंध
- च. नेशनल पार्क एवं सेन्चुरी
- छ. वनो से प्राप्त आमदनी
- ज. बिगड़े वनो का सुधार
- झ. जेट्रोफा वृक्षारोपण एवं बायोडीजल का उत्पादन
- ट. सड़क एवं नदियों के किनारे वृक्षारोपण
- ड. पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण
- ढ. बांस का उत्पादन एवं बांस आधारित उद्योग
- ण. तेन्दूपत्ती, महुलाई पत्ती एवं साल आधारित उद्योग

प.	वन विश्राम गृहों का निर्माण
फ.	सेन्चुरी एरिया का रखरखाव
ब.	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के कार्य
भ.	आदिवासी उपयोजना की विभिन्न योजनाएं
म.	एफडीए के कार्य करने का तरीका
य.	वर्किंग प्लान की स्थिति
र.	वन क्षेत्रों में सिंचाई के विकास
ल.	पौधा रोपणी का निर्माण एवं पौधों का उगाना
व.	वानिकी एवं वन्य जीवन
स.	पर्यावरण के विभिन्न योजनाएं

9. पर्यटन

क.	कुल पर्यटन स्थल
ख.	विकसित करने के लिये क्या किया जा रहा है
ग.	टूरिस्ट सर्किट
घ.	रूरल टूरिज्म
ङ.	भोरमदेव एवं चिल्पी का विकास

10. सामाजिक सेवायें

10.1 स्कूल शिक्षा

क.	प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी, स्कूल
ख.	सर्वशिक्षा अभियान की स्थिति
ग.	स्कूल भवनों की स्थिति, भवनों में पेयजल की व्यवस्था, भवनों में तथा शौचालयों की स्थिति
घ.	विद्यार्थी एवं शिक्षकों की स्थिति

10.2 उच्च शिक्षा

क.	कुल कालेजों की संख्या
ख.	महिला कालेज
ग.	भवनों में बाउन्ड्रीवाल, शौचालयों एवं प्राध्यापकों की स्थिति

10.3 तकनीकी शिक्षा

क.	पॉलीटेक्निक
ख.	आई. आई. टी., इंजीनियरिंग कालेज

10.4 चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या एवं स्वीकृत स्थान

10.5 खेलकूद

खेलकूद की सुविधाओं की स्थिति

10.6 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क. जन्मदर, मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर
ख. एमएमआर कितना है
ग. 0–5 वर्ष तक के बच्चे
घ. दस वर्षीय वृद्धिदर
ड. जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एसएचसी आदि
च. आयुर्वेदिक, हौम्योपैथी, यूनानी अस्पताल
छ. नेशनल अंधत्व नियंत्रण की स्थिति
ज. नेशनल टी.वी. नियंत्रण की स्थिति
झ. नेशनल मलेरिया नियंत्रण की स्थिति
ट. योगा एंव प्राकृतिक चिकित्सा
ठ. परिवार कल्याण

10.7 जल पूर्ति एंव जल निकास

क. गांव/नगरों में पेयजल की व्यवस्था
ख. स्कूल एंव आंगनबाडी केन्द्र में पेयजल की व्यवस्था
ग. समस्या मूलक ग्राम /नगर
घ. भूजल की समस्या एंव निदान
ड. स्वच्छता अभियान
च. भारत निर्माण योजना
छ. जल का निकास

10.8 आवास एंव नगर विकास

क. अटल आवास योजना
ख. मास्टर प्लान आफ अरबन एरिया
ग. जिला मुख्यालय विकास की योजना
घ. हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्माणधीन योजना
ड. नगरपालिका, नगर पंचायतों की योजना
च. ग्रामीण आवास कार्यक्रम
छ. पंचायत के कार्य

11. अनुसूचित जाति, जन जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण

क. अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यक्रम
ख. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम
ग. पिछडा वर्ग कल्याण कार्यक्रम
घ. अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम
ड. माडा पाकेट
च. अत्यंत पिछड़ी जनजाति का विकास
छ. एससीपी/टीएसपी योजना के कार्य

12. श्रम एंव रोजगार

क. श्रमिकों का कल्याण
ख. दस्तकारों का प्रशिक्षण
ग. रोजगार सेवाएं
घ. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति योजना
ड. रोजगार कार्यालय है या नहीं
च. जीवित पंजी पर व्यक्तियों की संख्या

13. समाज कल्याण

क. निःशक्तजनों के कार्यक्रम
ख. वृद्धजनों का विकास
ग. सामाजिक सुरक्षा योजना
घ. समाज कल्याण के कार्यक्रम
ड. विकलांग एवं निराश्रितों के कार्यक्रम

14. महिला एंव बाल विकास

क. आयुष्मती योजना
ख. महिला कोष योजना
ग. सामूहिक विवाह योजना
घ. मैत्री कुटीर
ड. जागृती शिविर
च. बाल विकास समृद्धि योजना
छ. मिनी माता पोषण आहार योजना
ज. महिला सशक्तीकरण योजना
झ. समन्वित बाल विकास योजनाएं (आई.सी.डी.एस.)
ट. आंगनबाड़ी

15. कमजोर वर्गो को कानूनी सहायता

16. परिवार न्यायालय की स्थिति

17. जेल में कैदियों का प्रशिक्षण एंव स्थिति

18. ट्रेजरी का सुधार/कम्प्यूटराइजेशन तथा ई गर्वनेन्स संबंधी सुधार

19 सुराज **(Good Governance)** संबंधी सुधार

टीपः–

01. अध्याय 1 के भीर्शर्ष को छोड़कर प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत आने वाले भीर्शर्ष की जानकारी निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर दी जाये।

- वर्तमान परिस्थिति का विवरण (Situation Analysis)
- पूर्व पंचवर्शीय योजनाओं में किये गये प्रयासों का विवरण
- मुख्य समस्यायें
- अगले पॉच वर्शो में प्रस्तावित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण
- इस वर्श प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण

02. जिला योजना मंडल द्वारा नियोजन सहयोग दलों तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे, ताकि सहभागी परियोजना निर्मित करने की क्षमता का विकास हो सके ।

परिशिष्ट

1. जिले का मानचित्र एंव टोपोग्राफी ।
2. जिला योजना समिति के सदस्यों की सूची ।
3. जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची ।
4. नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के सदस्यों की सूची ।
5. जिले के माननीय सांसद एवं विधायको की सूची ।
6. जिला न्यायालय एवं उनके अधीन न्यायालयों की संरचना ।
7. लेबर कोर्ट की संख्या एवं उनकी सूची ।
8. जिले के स्वैच्छिक संगठनों की संख्या एवं सूची ।
9. एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से स्वीकृत कार्य का विवरण ।
10. नवा अंजोर योजना में क्या–क्या कार्य लिये गये है ।
11. ग्रामीण एवं नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां यथा जिला पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत आदि ।

संस्था का नाम	राजस्व प्राप्तियां		
	2003–04	2004–05	2005–06

परिशिष्ट – 5

प्रपत्र – 1/1

पूर्व वर्ष एवं चालू वर्ष के व्यय की प्रगति एवं आगामी वार्षिक योजना के प्रस्ताव

जिला – ....

क्षेत्रक का नाम – .... कोड – ....

विभाग का नाम – .... कोड – ....

जिला स्तर पर कार्यालय का नाम – .... कोड – ....

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	मांग संख्या	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	पंचवर्षीय योजना				विगत वर्ष– वास्तविक व्यय			
			योग	चालू योजना	नई योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल बजट प्रावधान	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	विशेष घटक योजना
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – 1/2

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	विगत वर्ष – वास्तविक व्यय					चालू वर्ष का बजट प्रावधान (कुल योग)
		विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (प्रतिपूर्ति)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (केन्द्रांश)	विशेष केन्द्रीय सहायता	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
1	2	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र — 1/3

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	चालू वर्ष — अनुमानित व्यय							
		सामान्य	आदिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (प्रतिपूर्ति)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (केन्द्रांश)	विशेष केन्द्रीय सहायता	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24

प्रपत्र – 1/4

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	आगामी वर्ष – राशि आगम के स्रोत								
		राज्यांश				विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (प्रतिपूर्ति)	केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (केन्द्रांश)	विशेष केन्द्रीय सहायता	आंतरिक आय के स्रोत
		सामान्य	आदिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना	अनाबद्ध राशि					
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33

प्रपत्र – 1/5

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	आगामी वर्ष – योजना प्रस्ताव – सामान्य योजना				
		कुल	चालू योजना	नई योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल में से पूंजीगत योजना
1	2	34	35	36	37	38

प्रपत्र – 1/6

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	आगामी वर्ष – योजना प्रस्ताव									
		आदिवासी उपयोजना					विशेष घटक योजना				
		कुल	चालू योजना	नई योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल में से पूंजीगत योजना	कुल	चालू योजना	नई योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल में से पूंजीगत योजना
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

प्रपत्र – 1/7

(लाख रूपये में)

कायकम कोड	कार्यक्रम (स्कीम) का नाम	आगामी वर्ष – योजना प्रस्ताव				
		कार्य योजना प्रस्ताव				
		कुल	चालू योजना	नई योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल में से पूंजीगत योजना
1	2	49	50	51	52	53

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

प्रपत्र – 2

(लाख रूपये में)

कार्यक्रम कोड	मद	इकाई	पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13